हमारे प्रेरणास्रोत !
हमारी महान विभूतियाँ...

शहीद वीर नारायण सिंह

महारानी दुर्गावती

माता राजमोहनी देवी

वीर गुण्डाधुर

जननायक बिरसामुण्डा

शहीद गैंद सिंह

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

पुराना छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग कार्यालय शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन/फैक्स -0771-2445621, ई-मेल staayog48@gmail.com

मान. श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
केबिनेट मंत्री
आदिम जाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
छत्तीसगढ़

17वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022

मान. श्री भानुप्रताप सिंह जी
अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा)
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

मान. डॉ. सुश्री राजकुमारी दीवान
उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा)
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

मान. श्री नितिन पोटाई जी
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

मान. श्री गणेश सिंह ध्रुव जी
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

मान. श्रीमती अर्चना पोर्ते जी
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

मान. श्री अमृत टोप्पो जी
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित
जनजाति आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

पुराना छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग कार्यालय शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन/फैक्स -0771-2445621, ई-मेल staayog48@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 अध्याय–4 की धारा–13 के अनुपालन में आयोग द्वारा अपने क्रियाकलापों एवं गतिविधियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021–22 के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री भानुप्रताप सिंह
अध्यक्ष
(केबिनेट मंत्री दर्जा)
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

डॉ. सुश्री राजकुमारी दीवान
उपाध्यक्ष
(राज्य मंत्री दर्जा)
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

श्री नितिन पोटाई
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

श्रीमती अर्चना पोर्ते
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

श्री अमृत टोप्पो
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

श्री गणेश सिंह ध्रुव
सदस्य
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

श्री के.एस. ध्रुव
सचिव
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक **(संपूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)** बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त करने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता
और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1946 ई. को (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमार्पित करते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन

विषय सूची

अध्याय –01	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सामान्य परिचय	11–12
अध्याय–02	छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ	13
अध्याय–03	आयोग की सामान्य संरचना, अमला एवं विभागीय संगठन	14
अध्याय–04	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	15–18
अध्याय–05	आदिवासी मंत्रणा परिषद	19
अध्याय–06	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, संशोधित अधिनियम–2016	20–36
अध्याय–07	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु सामाजिक प्रास्थिति नियम–2013	37–51
अध्याय–08	पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244 (1))	52–54
अध्याय–09	अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण एवं अधिकार	55–61
अध्याय–10	छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण परिपत्र	62–74
अध्याय–11	आयोग द्वारा निष्पादित कार्य वर्ष 2020–21	75–80
अध्याय–12	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में वित्तीय आबंटन एवं व्यय विवरण	81

अध्याय–01

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सामान्य परिचय

भारत के संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण और अनुश्रवण तथा ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विधानसभा से पारित मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में भी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा दिनांक–02.09.2002 को छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण अधिसूचना जारी की गई, जिसमें क्रमांक/डी–4490/479/2002/आजावि विभाग की अधिसूचना डी–4226/479/2002/आजावि, दिनांक–16.08.2002 को अतिष्ठित करते हुए एवं मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2002 (कमांक–28, सन्–2000) की धारा–79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाया गया है, अर्थात–

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है।

   (दो) यह 01.11.2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' एवं शब्द भोपाल जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द ''रायपुर'' स्थापित किया जाए, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 एवं मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम–1997 प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना कमांक–186/2000, रायपुर दिनांक–12.11.2000 में अरूण कुमार मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी करते हुए श्री एस0एस0 मूर्ति, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, राज्यपाल एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वर्तमान, सामाजिक, आर्थिक विकास के और कल्याणकारी कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन करना उसमें आवश्यक सुधार लाना अथवा नए कार्यक्रम लागू करना आवश्यक हो गया है।

अतः एतद् द्वारा राज्य शासन, छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतिगत संभावनाएँ भी की जावेगी। आयोग स्वप्रेरणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्हीं भी मामलों का संज्ञान ले सकेगा और ऐसे मामलों में निष्कर्षों पर शासन को प्रतिवेदन देगा। आयोग अपना प्रथम प्रतिवेदन तीन माह में देगा।

राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र पामभोई, विधायक, विधानसभा क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा को उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करते हुए पद की गरिमा को देखते हुए राज्य शासन अनुसूचित जनजाति आयोग के मान0 अध्यक्ष को '' केबिनेट मंत्री'' का समकक्ष घोषित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम–2020 अनुसार आयोग में 03 नये सदस्य के पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष–1 पद, उपाध्यक्ष–1 पद एवं सदस्य–4 पद सहित कुल–06 पद स्वीकृत हैं।

आयोग के माननीय पदाधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में आयोग अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग से प्राप्त शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आयोग के अधिनियम–1995 की धारा–9 एवं 10 के तहत संज्ञान में लेकर पंजीबद्ध योग्य प्रकरणों में उभय पक्षों के कथन, साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती है।

आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और उसमें अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास से संबंधित सुरक्षात्मक तथा समस्या निवारण दोनों सम्मिलित हैं। इस वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष में की गई गतिविधियों, सुनवाईयों व शासन को भेजी गई संस्तुतियों व सुझावों को एक अभिलेख के रूप में समाहित किया है।

आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की शिकायतों को उपयुक्त स्तर के संबंधित प्राधिकारियों को उचित निष्कर्ष और सिफारिशों के साथ तत्काल कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। आयोग द्वारा सीमित संसाधनों में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिए यथासंभव कार्यवाही की गई है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों के सफल निराकरण निक्षेपण में छ.ग. शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों का भरपूर सहयोग आयोग को प्राप्त होते आया है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों का संरक्षण होता रहे इसके लिए आयोग ने अपने आपको दृढ़ हितप्रहरी संस्था के स्वरूप में संस्थापित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के सजग हितप्रहरी के रूप में निरन्तर कार्यरत है।

अध्याय–02

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

आयोग के अधिनियम–1995 के अध्याय–3 की धारा–9 (1) में आयोग के कार्य–

(9) 1. आयोग का यह कृत्य होगा कि वह :–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने हेतु कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

2. आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ–

आयोग की धारा–9 की उपधारा–1 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी अर्थात्–

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षण के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय–03
आयोग की सामान्य संरचना, अमला एवं विभागीय संगठन

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 संशोधित अधिनियम–2017 के अनुरूप आयोग की संरचना निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	नाम	अवधि	मोबाइल नम्बर
1	अध्यक्ष	श्री भानुप्रताप सिंह (केबिनेट मंत्री दर्जा)	24.07.2021 से निरंतर	96170-19224
2	उपाध्यक्ष	डॉ. सुश्री राजकुमारी दीवान (राज्य मंत्री दर्जा)	24.07.2020 से निरंतर	98937-50702
3	सदस्य	श्री नितिन पोटाई	24.07.2020 से निरंतर	94252-12515
4	सदस्य	श्री गणेश सिंह ध्रुव	24.07.2021 से निरंतर	83194-16336
5	सदस्य	श्री अमृत टोप्पो	24.07.2021 से निरंतर	78289-83570
6	सदस्य	श्रीमती अर्चना पोर्ते	24.07.2021 से निरंतर	99930-08224
7	संचालक सदस्य	श्रीमती शम्मी आबिदी, आयुक्त (आजाकवि)		
8	सचिव	श्री के.एस. ध्रुव	04.06.2021 से निरंतर	93031-52869

आयोग की सामान्य संरचना, अमला एवं विभागीय संगठन

क्रमांक	पदनाम	नाम	मोबाइल नम्बर
1	सचिव	श्री के.एस. ध्रुव	93031-52869
2	सहा.अनु.अधिकारी	श्री एम.के. भुवाल	98261-55612
3	निज सचिव	श्री जी.आर. परसे (संलग्न आयुक्त कार्यालय)	96693-46710
4	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	श्री रजनीश कुमार उरांव	97700-36447
5	लेखापाल	श्री लिलेश्वर देवांगन(संलग्न)	94060-52400
6	सहायक ग्रेड–2	श्रीमती शोभा झामनानी(संलग्न)	70001-68713
7	सहायक ग्रेड–3	श्री संजय गायकवाड़	95899-11375
8	सहायक ग्रेड–3	श्री झड़ीराम साहू	98937-22452
9	दफ्तरी	श्री टेकराम साहू,	98277-36300
10	दै.क.ऑपरेटर	श्री दुर्गेश राव,	81091-38062
11	दै.क.ऑपरेटर	श्री अजय कुमार पाण्डेय,	94242-42183
12	दै.क.ऑपरेटर	श्रीमती अश्वनी सोरी,	94241-15004
13	दै.क.ऑपरेटर	श्रीमती अनामिका साहू	89621-09812

अध्याय 4

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	**राज्य का कुल क्षेत्रफल**		135192 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
	1.3	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50 प्रतिशत
2.	**जनगणना (2011)**		
	2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
	2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	**(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	70.28%
	3.2	पुरुष	80.27%
	3.3	महिला	60.24%
	(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	59.09%
	3.2	पुरुष	69.67%
	3.3	महिला	48.76%
	(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	70.76%
	3.2	पुरुष	81.66%
	3.3	महिला	59.86%
4.	**राजस्व जिला**		28
	4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	14
	4.2	आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	06

4.3	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	25
5.	**आदिवासी विकासखंड**	85
6.	**एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना**	19
7.	**माडा पाकेट**	09
8.	**लघु अंचल**	02
9.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित)	08
10.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह प्रकोष्ठ	09

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए है।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला–1 एवं गौरेला–2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं –

क.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
2.	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3.	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6.	सुकमा	6. कोन्टा		
7.	बीजापुर	7. बीजापुर		
8.	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9.	बलौदाबाजर		1. बलौदाबाजर	1. धुर्रीबांधा
10.	धमतरी	9. नगरी	2. गंगेरल	
11.	महासमुंद		3. महासमुंद–1 4. महासमुंद–2	
12.	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13.	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियाँ	2. बछेराभाठा
14.	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15.	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16.	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17.	बलरामपुर	14. पाल		
18.	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19.	कोरबा	16. कोरबा		
20.	बिलासपुर	17. गौरेला		
21.	गोरेला–पेण्ड्रा– मरवाही			
22.	मुंगेली			
23.	जांजगीर–जांपा		7. रूगजा	
24.	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर,	
25.	जशपुर	19. जशपुर नगर	9. सारंगढ़	

विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण :–

छ.ग. राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत है। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है:–

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण / प्रकोष्ठ का नाम
1.	2	3
1.	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2.	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3.	राजनांदगांव	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4.	कोरिया	बैगा विकास प्रकोष्ठ– बैकुंठपुर
5.	बिलासपुर	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – बिलासपुर
6.	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7.	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ– बलरामपुर
8.	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण– जशपुर
9.	कोरबा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ– कोरबा
10.	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ– धरमजयगढ़
11.	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण– गरियाबंद
12.	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ–नगरी
13.	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ– भानुप्रतापपुर
14.	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ– महासमुंद
15.	नारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण– नारायणपुर

अध्याय–5

आदिवासी मंत्रणा परिषद

सविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते हैं। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ–20–2/2019/25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.6.2014 एवं 02.12.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन करता हैः–

1	मान. श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2	मान. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री आ. जा. तथा अनु.जा.वि.विभाग	उपाध्यक्ष
3	मान. श्री राम पुकार सिंह, विधायक पत्थलगांव	उपाध्यक्ष
4	मान. श्री अमरजीत भगत मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृत विभाग	सदस्य
5	मान. श्री लखेश्वर बघेल, विधायक, बस्तर	सदस्य
6	मान. श्री बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज	सदस्य
7	मान. श्री गुलाब कमरो, विधायक, भरतपुर–सोनहत	सदस्य
8	मान. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, विधायक, नगरी सिहावा	सदस्य
9	मान. श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर	सदस्य
10	मान. श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोण्डागांव	सदस्य
11	मान, चिंतामणि महाराज, विधायक, सामरी	सदस्य
12	मान. श्री मनोज मण्डावी, विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
13	मान. श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
14	मान. श्री चक्रधर सिंह, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
15	मान. श्री शिशुपाल शोरी, विधायक, कांकेर	सदस्य
16	मान. श्री अनूप नाग, विधायक, अंतागढ़	सदस्य
17	मान. श्री इंद्रशाह मण्डावी, विधायक, मोहला मानपुर	सदस्य
18	मान. श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक, कटघोरा	
19	मान. श्रीमती देवती कर्मा, पूर्व विधायक, दंतेवाडा	सदस्य
20	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सदस्य/सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगें। अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

अध्याय–6

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, संशोधित अधिनियम–2016

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नियम–1989 (क्र 33 सन् 1989) अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (क्र.1 से 2016) द्वारा दिनांक 26.01.2016 से यथा संशोधित

(11 सितम्बर, 1989)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए. ऐसे अपराधों के विचारण के लिए 1(विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों,) का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

(क) ''अत्याचार'' से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) ''संहिता'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

3. [(खख) ''आश्रित'' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता–पिता, भाई और बहिन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण–पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं;

(खग) ''आर्थिक बहिष्कार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारोबार करने से इंकार करना;

(ii) या अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं; या

(iii) ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी; या

(iv) ऐसे वत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं;

(खघ) ''अनन्य विशेष न्यायालय'' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खड) ''वन अधिकार'' का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में है;

(खच) ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी'' का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसका है;

(खछ) ''लोक सेवक'' से भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है,

(ग) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;

(घ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''विशेष लोक अभियोजक'' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है;

1 [(ङक) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङख) ''सामाजिक बहिष्कार'' से कोई रूढिगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत है;

(ङग) ''पीडित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावानात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी है;

(ड.घ) ''साक्षी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;

1 [(च) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और यथास्थिति, भारतीय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं। वही अर्थ होना समझा जाएगा जो उन अधिनियमितियों में है।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय–2
अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड–ख (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखल परिसरों में या परिसरों के प्रवेश–द्वार पर मल–मूत्र, मल, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे–व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा;

स्पष्टीकरण.– खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''सदोष'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना,

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है, या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ''बेगार'' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा;

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 (क) के अधीन नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कर्तव्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात् अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि

में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा; स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वस्तु पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है,

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य अन्यथा द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;

स्पष्टीकरण–उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए सहमति पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता हैः– परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है. केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा; परंतु यह और कि स्त्री का अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा, परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा;

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान–भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएँ, या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है।

(यख) जादू–टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है

(I) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगाय और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय है;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है. वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा;

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध 1[किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है], वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा; 2 [(vक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

1 [4. कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड – (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा.–

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना,

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दांडिक कार्रवाइयों के लिए निर्देश दिया जाएगा।]

5. **पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड.**– कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

6. **भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना.**– इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34. अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5. अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबन्ध, जहां तक हो सकें. इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

7. **कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण.**– (1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है. सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

8. **अपराधों के बारे में उपधारणा**– इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि,–

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के 1[अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है] तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए. यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इसके अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि

किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

2 [(ग) अभियुक्त, पीड़ित का उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था. न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।]

9. शक्तियों का प्रदान किया जाना.– (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह–

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ या. यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय 3

निष्कासन

10. ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है.–(1) जहां विशेष न्यायालय का परिवाद की पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 1 [या धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र] में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति' क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाए और 2 [तीन वर्ष] से अधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं. उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गये अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा।

11. **किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया.**– (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है–

(क) निर्देश किये गये रूप में हटने में असफल रहता है; या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना, बन्धपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र के बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा।

12. **ऐसे व्यक्तियों के, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना.** –

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किए जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिये जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिये गये सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था।

13. **धारा 10 के अधीन आदेश अननुपालन के लिए शास्ति.** – वह व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किये गये विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

1. **[14. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय** :– (1) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगीः परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी; परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन–प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो, परंतु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।]

1. **[14. अपीलें** –(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी।

(2) दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के

किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी। परंतु उच्च न्यायालय नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास नब्बे दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था, परंतु यह और कि कोई अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर होगा।]

2. [**15. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक** – (1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनन्य विशेष लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।]

1 [अध्याय 4 क]

पीड़ित और साक्षी के अधिकार

15क. पीड़ित और साक्षी के अधिकार – (1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीडितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

(2) पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीडित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को, किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों का समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीडित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्धदोष या दंडादिष्ट या सिद्धदोष दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्ध कार्यवाहियों या बहसों और सिद्धदोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्यवाहियाँ या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा–

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय और

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास;

(घ) पुनः अवस्थान।

(7) राज्य, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पीडित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, कर सकेगा, –

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पत्तों का छुपाना;

(ख) साक्षियों की पहचान और पत्तों का अप्रकटन के लिए निर्देश जारी करना;

(ग) पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करनाः परंतु खंड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगाः परन्तु यह और कि जहां खंड (ग) के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में, यथास्थिति, पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का, पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का

कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां वीडियों अभिलिखित होंगी।

(11) संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे, –

(क) अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सके;

(ख) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके;

(ग) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(घ) मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान से संबंध में राहत प्रदान की जा सके;

(ङ) पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके;

(च) अत्याचार से पीडितों और उनके आश्रितों को भरण–पोषक व्यय प्रदान किया जा सके; और

(छ) शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके।

(ज) अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(झ) अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप प्त्र की प्रति प्रदान की जा सके;

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सकें;

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ड) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिकों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(12) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।]

अध्याय 5
प्रकीर्ण

16. **राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति**– सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 को 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

17. **विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई.**–

18. **अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना.**– संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरतारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

19. **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध का लागू न होना.**– संहिता की धारा 360 के उपबन्ध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

20. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.**– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

21. **अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य.**– (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए. इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा.

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था;

(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था;

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(v) ऐसे समुचित स्तरों, पर जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन में के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना;

(vi) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए उपायों को सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय–समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना हो और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा अभिनिश्चित की जा सके।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।

22. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**– इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

23. **नियम बनाने की शक्ति.**– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 6
आदिवासी मंत्रणा परिषद

संविधान की पाँचवी अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते हैं। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छग शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र / एफ–20–2/2019 /25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27. 6.2014 एवं 02.12. 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :–

1.	मान, श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, आजा तथा अनु.जा. वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री राम पुकार सिंह, विधायक पत्थलगांव।	उपाध्यक्ष
4.	मान श्री अमरजीत भगत मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृत विभाग	सदस्य
5.	मान श्री लखेश्वर बघेल, विधायक, बस्तर	सदस्य
6.	मान. श्री बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज	सदस्य
7.	मान श्री गुलाब कमरो, विधायक, भरतपुर– सोनहत	सदस्य
8.	मान श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, विधायक, नगरी सिहावा	सदस्य
9.	मान, श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर	सदस्य
10.	मान, श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोण्डागांव	सदस्य
11.	मान, चिंतामणि महाराज, विधायक, सामरी	सदस्य
12	मान श्री मनोज मण्डावी, विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
13.	मान, श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
14.	मान, श्री चकघर सिंह, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
15.	मान, श्री शिशुपाल शोरी, विधायक, कांकेर	सदस्य
16.	मान श्री अनूप नाग, विधायक, अंतागढ	सदस्य
17.	मान, श्री इंद्रशाह मण्डावी, विधायक, मोहला मानपुर	सदस्य
18.	मान श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक कटघोरा	सदस्य
19.	मान श्रीमती देवती कर्मा, पूर्व विधायक, दंतेवाड़ा	सदस्य
20.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सदस्य

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगें।

अध्याय–7

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु सामाजिक प्रास्थिति नियम–2013

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 13–22/2012/आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, 20.09.2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर

नया रायपुर दिनांक 24.09.2013

समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त जिलाध्यक्ष समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़

विषय – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में निर्देश।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के हजारों अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके परिवार छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित हुए थे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे, फलस्वरूप जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी दिशा निर्देशों के कुछ नीति–निर्देशक तत्वों यथा मूल निवास स्थानीय निवास तथा प्रवर्जन आदि विषयों पर कतिपय शंकाएँ उत्पन्न हो रही थीं। इसके अतिरिक्त राज्य का क्षेत्रफल पहले की तुलना में कम होने तथा राजधानी एवं राज्य सरकार तक आमजन की पहुँच सहज एवं सुलभ होने से विभिन्न जाति एवं जनजाति संगठनों द्वारा जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर आने वाली कठिनाइयों की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। फलस्वरूप इन सब विषयों पर इस विभाग के द्वारा समय–समय पर यथानुसार निर्देश जारी किए गए हैं।

इस दौरान राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि कतिपय अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के माध्यम से शासकीय सेवाओं में आरक्षित पदों पर नौकरियों प्राप्त कर ली गई हैं, जिसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के वास्तविक हकदार संविधान प्रदत्त सुविधाओं से वंचित हुए हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से जाँच एवं अनुसंधान उपरांत निर्णय पारित किए गए तथा उनमें से कुछ को शासकीय सेवा से भी बर्खास्त किया गया परन्तु विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के अभाव के कारण ऐसी मिथ्या तथा फर्जी प्रमाण–पत्र धारकों के द्वारा कानूनी अड़चनें पैदा कर कार्यवाही को विलंबित किया जा रहा था।

इस सब परिस्थितियों पर समुचित विचार–विमर्श के उपरांत राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित। जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियन 2013 पारित करवाया गया जिसे आगे अधिनियम 2013 कहा गया है और उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 भी जारी किया गया है, जिसे आगे नियम 2013 कहा गया है। उक्त अधिनियम एवं नियम में परम्परा अनुसार विधिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में कहीं–कहीं कठिनाई हो सकती है, अतः उक्त अधिनियम एवं नियम का सार सरल भाषा में भी जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आमजन के लिए सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से अनुपूरक व्यवस्था के रूप मे जारी किए जा रहे हैं। किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों के संदर्भ में ये निर्देश सुसंगत नहीं होंगे और विशिष्ट बिन्दुओं पर कोई विवाद होने पर उनका समाधान उक्त अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के तहत ही किया जायेगा। तदनुसार उपर्युक्त विषय पर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

निर्देश :–

1. आवेदन–पत्र का स्वरूप एवं प्रस्तुति

1.1 अधिनियम 2013 की धारा 3 एवं नियम 2013 के नियम 3(1) के अंतर्गत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में आवेदक आवेदन पत्र स्वयं या डाक या चॉइस सेंटर या सामान्य सेवा केन्द्र (Common Service Center) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

1.2 नियम 2013 के नियम 3(1) एवं 3(2) के प्रावधान सामान्य तौर पर सभी आवेदकों के संबंध में लागू होंगे परन्तु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की सबसे अधिक एवं प्राथिमिक रूप से आवश्यकता वास्तव में अध्ययनरतः विद्यार्थियों को ही होती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–46 / 25–2 / 2011 / आ. जावि दिनांक 26 नवम्बर 2011 के द्वारा तथा इस विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2011 द्वारा संबंधित विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ही आवेदन–पत्र उपलब्ध कराये जाने सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किये जाने तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरांत स्कूलों के माध्यम से ही संबंधित विद्यार्थी को वितरित किये जाने अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत उसी आधार पर उनके अन्य भाई एवं बहनों को भी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किये। जाने आदि के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए थे। उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए पुनः समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा इस संबंध में यह ध्यान रखा जावे कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को न बुलाया जाए।

आवश्यक होने पर केवल उनके पिता / अभिभावक / पालक को ही बुलाया जाए।

2. आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजरू 21 नियम 2013 के नियम 3 (3) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ किन–किन दस्तावेजों की संलग्न किया जाना है। उक्त दस्तावेजों का

विवरण निम्नानुसार है :–

(1) शपथपत्र

(2) पटवारी द्वारा जारी वंशवृक्ष

(3) Cut off date (राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना संबंधित दस्तावेज।

(4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में आबंटन आदेश तथा Cut off date के पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा में निवास करने से संबंधित दस्तावेज (म.प्र. से छत्तीसगढ़ आए शासकीय कर्मचारियों की संतानों के संबंध में)

(5) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज

(क) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल)

(ख) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी

(ग) राज्य बंदोबस्त

(घ) अधिकार अभिलेख (1954)

(ड) जनगणना (1931)

(च) वन विभाग की जमाबंदी

(छ) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949)

(ज) जन्य या मृत्यु पंजी

(झ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे तो दाखिल खारिज पंजी

(ञ) पिता, पूर्वज अथवा रिश्तेदार को पूर्व जारी जाति प्रमाण पत्र

(ट) जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प ।

(6) आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण–पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)

(7) डाक टिकट सहित पूर्ण स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा ।

2.2 उपर्युक्त दस्तावेजों में से दस्तावेज क्रमांक 5 (ट) – ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प वस्तुतः पूर्व से संधारित कोई दस्तावेज नहीं है वरन शासन के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होने पर कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सुदूर क्षेत्र में निवास करने वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले तथा विशेष पिछडी जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अपनी जाति को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराना कई बार अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। उसका प्रमुख कारण उनके पूर्वजों के पास अचल संपत्ति की अनुपलब्धता एवं शैक्षणिक योग्यताओं का नहीं होना होता है। इसके अतिरिक्त ये लोग पूर्वजों के ऐसे निजी दस्तावेजों को पीढ़ी–दर– पीढ़ी संभाल कर रखने के अभ्यस्त भी नहीं होते तथा ऐसी सुविधा भी इनके पास नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 1950 के पूर्व के लोक दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया उपरांत पंचायत एवं

ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–6–55 / पग्राविवि / 2013 दिनांक 26.08.2013 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उक्त वर्ग के ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी जाति तथा Cut off date को उनके मूल निवास स्थान के संबंध में ग्राम सभा के समक्ष उनके समाज एवं परिवार के जन्म एवं मृत्यु संबंधी सरकारों, उनकी जाति की बोली, देवी–देवता, गाँव या आसपास में रहने वाले लोगों से उनके रोटी–बेटी के संबंधों आदि की जानकारी के आधार पर उनकी जाति तथा Cut of date को उनके मूल निवास स्थान के संबंध में उद्घोषणा की जायेगी तथा यह उद्घोषणा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में स्थाई रिकार्ड के रूप में संचारित की जावेगी और उसका उपयोग सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में किया जा सकेगा।

2.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 26.08.2013 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम के किसी व्यक्ति की जाति तथा मूल निवास के संबंध में उपर्युक्त उद्घोषणा करने के पूर्व भली–भाँति यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त व्यक्ति की जाति या मूल निवास के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और ग्राम वासी यह जानते हैं कि उस व्यक्ति कि जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत सम्मिलित है। यदि किसी व्यक्ति की जाति या मूल निवास के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है तो ग्राम सभा के द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में ऐसी कोई उद्घोषणा कराई जाती है और उस उद्घोषणा के द्वारा ऐसे किसी दस्तावेजों को छुपाकर ग्राम समा से उद्घोषणा कराई जाती है और उस उद्घोषणा के आधार पर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो वह अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत दण्ड का भागी होना।

3. आवेदन का पंजीयन

नियम 2013 के नियम 4 के अंतर्गत प्रारूप 5 (क) निर्धारित करते हुए आवेदन के पंजीयन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

4. आवेदन पत्र की प्राथमिक जाँच, पावती, वापसी ज्ञापन एवं असमर्थता ज्ञापन :

4.1 नियम 2013 के नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्राथमिक रूप से जाँच करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्राथमिक जाँच से तात्पर्य यह देखना है कि आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में सभी निर्धारित बिन्दुओं के अंतर्गत आवश्यक जानकारी अंकित की गई है अथवा नहीं। तथा ऐसे दस्तावेज जो उसके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के दावे की पुष्टि हेतु आवश्यक हैं और जिनका उल्लेख नियम 3 (2) के तहत किया गया है, वे संलग्न किए गए हैं अथवा नहीं। यदि प्राथमिक जाँच में आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टि सही तथा पूर्ण पाई जाती है तथा वांछित दस्तावेज संलग्न हैं तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को निर्धारित प्रारूप 3 के अनुसार पावती उपलब्ध करा देगा और यदि वह कोई कमी पाता है तो 7 दिवस के अंदर निर्धारित वापसी ज्ञापन प्ररूप 3 (ख) में आवेदक को उपलब्ध करायेगा जिसमें उन कमियों का उल्लेख होगा जिसकी आवश्यकता सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु है।

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अत्याधिक बल दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि सधी दस्तावेज सामाजिक स्थितिहेतु

विशिष्ट रूप से तैयार किये गये दस्तावेज नहीं है. अतः उन्हें अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य (Evidentiary Value) का मानना अपेक्षित नहीं है।

4.2 (1) नियम 2013 के नियम 6 के अंतर्गत प्ररूप 3 (ग) अनुसार असमर्थता ज्ञापन के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह ज्ञापन वापसी ज्ञापन प्ररूप 3 (ख) के पीछे मुद्रित रहेगा। इस ज्ञापन का उपयोग उस आवेदक के द्वारा किया जायेगा जिसके पास नियम 3 (2) के तहत उल्लिखित दस्तावेज नहीं है और अथक प्रयास के बावजूद वह उक्त दस्तावेज प्राप्त करने में असफल रहा है। आवेदक के द्वारा असमर्थता ज्ञापन के प्रारूप में शपथपत्र दिए जाने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी आवेदक से दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा तथा नियम है के अनुसार आवेदक के दावे की जाँच करेगा परन्तु यह आवश्यक होगा कि उक्त जाँच में आवेदक पूरी तरह से सहयोग करे। इस प्रकार अब आवेदक के केवल शपथ पत्र के आधार पर भी समुचित जांच उपरांत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

4.3 शपथ पत्र के आधार पर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाना :

सामान्यतः आवेदकों को दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में शपथ पत्र के आधार पर जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस हेतु प्रथमतः आवेदक को आश्वस्त होना चाहिए कि उसके पास स्वयं को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है परन्तु वह उसे तत्काल नहीं कर पा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सावधानीपूर्वक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय के तारतम्य में जारी निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में जारी किये जा रहे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र हेतु विशेष सावधानी बरती जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जिनके पिता भाई–बहन को वर्ष 2006 या उसके पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया गया था के आधार पर आवेदक पत्र प्रस्तुत कर दावे की पुष्टि कर सकता है एवं प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी विस्तृत जांच के आवेदक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। शपथ पत्र के आधार पर ऐसे आवेदक को ही सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जिसके अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के होने के संबंध में किसी प्रकार की शंका की स्थिति न हो एवं उनके द्वारा मांगे जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र उन्हीं जाति के हो इन वर्गों की सूची में पूरी तरह पात्रता रखते हों तथा उनका आवेदन विस्तृत परीक्षण उपरांत मान्य किया जा सके इस प्रयोजन के लिए प्रारूप (ग) में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5. सक्षम प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी :

5.1 अधिनियम 2013 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों को घोषित किया गया है।

5.2 शैक्षणिक कार्यों के लिए सरपंच एवं वार्ड पार्षदों को अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों हेतु तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।

5.3 स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार कलेक्टर अपर कलेक्टर डिप्टी कलेक्टरए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रदान किया गया है परन्तु सामान्य तौर पर उक्त कार्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा ही किया जायेगा। जहाँ कार्य अधिक है वहां कलेक्टर किसी डिप्टी कलेक्टर को भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का काम सौंप सकेंगे।

5.4 अधिनियम 2013 की धारा 2 के खण्ड (क) के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों के आदेशों से असंतुष्ट आवेदकों को अपील करने के प्रावधान के तहत अपीलीय अधिकारी घोषित किए गए हैं। इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा ही तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिप्टी कलेक्टर तथा अनुविभागीय (राजस्व) के आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर/कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर / कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त/संभागीय आयुक्त को अपीलीय अधिकारी घोषित किया गया है।

6. जाँच अधिकारी

नियम 2013 के नियम 7 के अंतर्गत उक्त संबंध में प्रावधान है। तद्नुसार प्राधिकृत अधिकारी या तो स्वयं जाँच करेंगे अथवा उसकी गहन जाँच के लिए अधीनस्थ अधिकारी से जाँच करवा सकेंगे।

7. जाँचः

7.1 नियम 2013 के नियम 8 के अंतर्गत जाँच प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट किया गया है। तदनुसार जाँचकर्ता अधिकारी आवेदकों के निवास स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य जो कि वहाँ के स्थायी निवासी तथा जाति ध जनजाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहाँ के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है। स्थानीय संस्थाओं तथा पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के अभिलेख तथा इन संस्थाओं की राय भी साक्ष्य माना जायेगा। ग्राम के कोटवार, पटवारी, सरपंच, पार्षद के अतिरिक्त दावित जाति के ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उक्त जाति के पूर्व से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र धारी हैं तथा आवेदक एवं उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भली–भांति जानते हैं के भी मौखिक कथन साक्ष्य के रूप में अंकित कर सकते हैं।

7.2 सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि सावधानी न बरती जाने के कारण मिलते–जुलते नामों के आधार पर गलत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने की संभावना रहती है। कुछ जातियों, कुछ जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है न कि सम्पूर्ण राज्य में इसी प्रकार कुछ जातियों के नामों में थोड़ा सा अंतर है। यदि सावधानीपूर्वक जाँच नहीं की गई तो गलत प्रमाण–पत्र जारी होने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी को उक्त साक्ष्यों से या अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है, वह दावित जाति का है। तथा Cut off dat (राष्ट्रपति अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछडे वर्ग की अधिसूचना तिथि, यथास्थिति) के पूर्व से उसके पिता / पूर्वज छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के निवासी रहे है अथवा नियम 12 के अंतर्गत राज्य शासन के ऐसे अधिकारी /कर्मचारियों की संतान है जिसके पिता अथवा पूर्वज Cut off date के पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी है तथा राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उनके पिता / परिवार के मुखिया को छत्तीसगढ़ राज्य आबंटित हुआ है।

7.3 जाँच के दौरान कुछ आवेदको के संबंध में यदि यह पाया जाता है कि उनके कतिपय साक्ष्य दस्तावेजों में अंकित जाति नाम अधिसूचित जाति सूची में अंकित जाति नाम के अनुरूप है तथा कुछ में अनुरूप नहीं है। तो दस्तावेजों की प्रमाणिकता का परीक्षण करने के उपरांत उक्त दस्तावेज को वरीयता दी जाये जिसमे अंकित जाति नाम सूची में अंकित जाति नाम के अनुरूप है।

7.4 जांच के दौरान ऐसे आवेदन–पत्र जिनके साथ संलग्न प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेखों में दर्शित जाति नाम मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 19 के अंतर्गत अनुसूची 3 अथवा धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची 4 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सूची अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्शित जाति से साम्य नहीं रखती है तथा उसका उच्चारण एवं लेखन दोनों ही तद्रूप होना नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों के आधार पर यद्यपि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा परन्तु ऐसे आवेदन पत्रों का पूरा विवरण प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा इस बाबत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के माध्यम से प्रति छ माह मैं एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को प्रति किया जावेगा जिसमें जातिवार (जैसा कि साक्ष्य अभिलेख एवं अंकित है) आवेदन पत्रों की संख्यात्मक जानकारी प्रेषित की जावेगी जिससे ऐसे आवेदकों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकेगा।

8. सबूत का भार

अधिनियम 2013 की धारा 14 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी जिला सत्यापन समिति या छानवीन समिति के समक्ष किसी आवेदक की जाति की जाँच के संबंध में यह साबित करने की जिम्मेदारी अर्थात् सबूत का भार कि वह किस जाति या जनजाति या जनजाति से संबंध रखता है. आवेदक पर होगा।

9. अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की अवधि :

सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण के विनियमन नियम, 2013 के नियम 9 एवं 10 के अंतर्गत आवेदक के दावे से संतुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अंदर तथा अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के मामले में भी 30 कार्य दिवस के अंदर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करेगा। यह व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा क्रमांक / एफ 4–124 / सात–3/2011, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

10. अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र

10.1 नियम 2013 के नियम 10 (2) के अंतर्गत अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से केवल 6 माह की अवधि के लिए मान्य होगा परन्तु यदि 6 माह के पूर्व ही स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी हो जाता है तो अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो जावेगी अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

10.2 नियम, 2013 के नियम 10(2) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय में अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का विवरण रखा जायेगा।

10.3 अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल 6 माह के लिए मान्य होगा, उसके पश्चात् उक्त प्रमाण पत्र धारक को फिर स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन नहीं देना पड़े इस हेतु अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् आवेदक का आवेदन–पत्र आदि तथा प्रमाण–पत्र की एक प्रति स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्वयं उस हेतु घोषित अधिकारी के कार्यालय में अग्रेषित कर उसकी सूचना संबंधित आवेदक को देंगे।

10.4 शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ही जारी अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात् राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए इसका उपयोग तब तक किया जा सकेगा जब तक स्थाई प्रमाण–पत्र जारी न हो जाये या परीक्षणोपरांत जाति संबंधी दावा निरस्त न कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से पोस्ट मैट्रिक शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए विद्यार्थियों को होती है। चूँकि नियमानुसार 6 माह के उपरांत अस्थाई प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो जायेगी अतः यह प्रश्न उपस्थित होगा कि यदि संबंधित विद्यार्थी के द्वारा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकत है तो उसे स्वीकृत छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति का वितरण एवं भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। उपर्युक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी के द्वारा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विद्यार्थी पर दबाव नहीं डाला जावेगा वरन् स्वयं उक्त विद्यार्थी के स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जावेगी।

10.5 शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारियों के सामने ऐसे प्रकरण भी सामने आ सकते हैं जिनमें किसी विद्यार्थी के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि उसे स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नही है तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी के द्वारा उक्त विद्यार्थी का छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति का वितरण एवं भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा परंतु उक्त विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्था से भले ही वह केवल आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित हो, शिक्षा सत्र के मध्य में निष्कासित नहीं किया जावेगा।

11. स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र :

11.1 अधिनियम 2013 की धारा 2 के खण्ड (ग) के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि कोई आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है नियम 2013 के नियम 9 के तहत निर्धारित प्रारूप 4 के (1) से (3) तथा प्रारूप 4 ख के द्वारा प्रमाण–पत्र के कागज का रंग वर्गवार निर्धारित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रमाण पत्र के सरसरी तौर पर देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाये कि यह किस वर्ग के लिए जारी किया गया है। उक्त प्रारूप के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आसमानी रंग के

कागज में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हल्के गुलाबी रंग के कागज में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हल्के पीले रंग के कागज में तथा सभी अस्थाई प्रमाण पत्र सफेद रंग के कागज में जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है।

11.2 अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपाधारा (2) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की मान्यता समय के द्वारा सीमित नहीं होगी अर्थात् यह कालातीत नहीं होगा या यह भी कह सकते हैं कि यह सर्वदा के लिए होगा और इसके खो जाने की स्थिति में प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा इसका डुप्लीकेट भी जारी किया जा सकेगा।

11.3 यह संभव है कि विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेजी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेजी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की माँग की जाती है तो समुचित जाँच एवं प्रक्रिया अपनाने के उपरांत उसे उक्त प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

12. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवासितों के लिए स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र 12.1 नियम 2013 नियम 2 (च) के द्वारा अन्य प्रवासी के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वे व्यक्ति जिसने अन्य राज्य या संघ क्षेत्र से Cut off date (राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि) के पश्चात् अथवा उसका जन्म उक्त तिथि के उपरांत होने की स्थिति में उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा उक्त तिथि के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो तो वह इस राज्य में प्रवासी होगा। उक्त संबंध में नियम 11 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रवासी व्यक्ति को प्रारूप ग में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण जारी किया जायेगा जिसके आधार पर उसे उसी राज्य में जहाँ से उसने प्रवास किया है यथानुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने की पात्रता होगी। प्रवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। नियम 2 (ड) में राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि तथा नियम 2 (ज) में अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि को परिभाषित किया गया है तद्नुसार अनुसूचित जाति के लिए दिनांक 10.08.1950 अनुसूचित जनजाति के लिए दिनांक 06.09.1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 26.12.1984 नियत है। उक्त तिथि को वर्गवार प्रवास का Cut off date भी कह सकते हैं।

12.2 नियम 2013 के नियम 12 के द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि अन्य राज्यों में से केवल अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिन्हें राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है, उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को यदि उनकी जाति छत्तीसगढ़ राज्य की जाति सूची में सम्मिलित है तो उन्हें यथानुसार प्ररुप 4 कख एवं ग में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

13. आवेदन पत्र का निरस्तीकरण उसकी सूचना तथा अपील :

13.1 आवेदन पत्र के निरस्तीकरण तथा उसकी सूचना आवेदक को देने के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतु के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र के निरस्त करने के कारणों का उल्लेख लिखित में करेगा तथा उसकी सूचना आवेदक को देगा।

13.2 अधिनियम 2013 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आवेदक को अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक निरस्तीकरण आदेश प्राप्ति होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी पर्याप्त कारण होने पर अपील करने में हुए बिलब को क्षमा कर सकता है और उक्त अपील पर सुनवाई कर सकता है। धारा 5 की उपधारा (2) में यह भी प्रावधान किया गया है। कि अपीलीय प्राधिकारी 3 माह के अंदर उचित आदेश करेगा। इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा यह घोषित किया गया है कि किस सक्षम अधिकारी के संदर्भ में कौन अपीलीय अधिकारी होगा।

14. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के अभिलेखों का रख–रखाव तथा अभिलेख पंजी :

14.1 जारी किए गए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों का विवरण रखे जाने हेतु नियम 2013 के नियम 13 के तहत पंजी का संधारण प्रारूप 5 ग के अनुसार रखे जाने का प्रावधान किया गया है। प्रारूप 5 ग के कालम नम्बर 2 के तहत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरण क्रमांक, पुस्तक क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित किया जाना है। इसमें से प्रमाण पत्र का क्रमांक विशिष्ट तरीके से अंकित किया जावेगा। राज्य के समस्त जिलों, उप संभाग, तहसील एवं ग्राम पंचायतों आदि के लिए अंकों का निर्धारण किया जावेगा और तदनुसार प्रत्येक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को उसके अनुसार एक युनिक नंबर दिया जावेगा, जिसके देखने से यह पता चल जायेगा कि यह किस जिले, उप संभाग, तहसील, ग्राम पंचायत आदि से संबंधित है। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है। उक्त निर्देश जारी होने के उपरांत प्रत्येक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के नंबर उक्त निर्देशानुसार अंकित किए जायेंगे। भविष्य में सॉफ्टवेयर तैयार होने के पश्चात् ये यूनिक नंबर सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। सॉफ्टवेयर तैयार होने तक कम्प्यूटर द्वारा भी प्रारूप डग की जानकारी संधारित की जाये। यदि सक्षम अधिकारी के स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड जानकारी संधारण की व्यवस्था न हो तो यह जानकारी सक्षम अधिकारीवार जिला कलेक्टोरेट में संधारित की जा सकती है।

14.2 सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, फलस्वरूप जिस कागज में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जाये वह अच्छी किस्म के हो ताकि समय का उस पर कम से कम प्रभाव हो ।

15. दत्तक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करना :

इस संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/ आप्र./ एक दिनांक 1 अगस्त 1996 द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

16. अन्तर जाति विवाह :

इस संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96 / आ.प्र./ एक दिनांक 1 अगस्त 1996 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की स्थाई मान्यताः

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण जाँच उपरांत जारी स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के लिए मान्य होगा। राज्य के किसी भी विभाग या संस्था के द्वारा नियम 2013 के

द्वारा निर्धारित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण के प्रारूप से भिन्न प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की माँग नहीं की जावेगी।

18. आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया, सामाजिक प्रास्थिति एवं आय प्रमाण–पत्र एक साथ जारी करने की प्रक्रिया, आय प्रमाण–पत्र की समीक्षाः

18.1 अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को शैक्षणिक सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए आय के बंधन का भी प्रावधान है। आय में परिवर्तन होता रहता है अतएव स्थाई रूप से आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जहाँ आय एवं सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों की एक साथ माँग की जाती है तो ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के साथ–साथ आय प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार) को अग्रेषित किया जायेगा अथवा स्वयं भी आय संबंधी दावों की जाँच के आधार पर आय प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगा परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि आय एवं सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के लिए जाँच एक साथ ही प्रारम्भ की जाएगी ताकि प्रमाण–पत्र जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो।

18.2 ऐसे प्रकरण जहाँ आवेदक द्वारा केवल आय प्रमाण पत्र की माँग की जाती है तो उक्त संबंध में आवेदन पत्र आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो तहसीलदार ! अतिरिक्त तहसीलदार नायबरू तहसीलदार है के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। 18.3 सामान्य तौर पर आय प्रमाण–पत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होगा रू परन्तु यदि आय की स्थिति में किसी तरह का भी परिवर्तन होता है तो आवेदक आग प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी को सूचित करे कि उनकी आय में परिवर्तन हो गया है, अतएव नया आय प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

19. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का सत्यापन :

19.1 अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) से (4) में तथा नियम 2013 के नियम 15 से 17 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

19.2 इस विभाग के परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर 2006 तथा परिपत्र दिनांक 23 जुलाई 2012 के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों के द्वारा मिथ्या एवं फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण एवं अन्य संविधान प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग रोकने हेतु आरक्षित वर्ग की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे परन्तु उक्त निर्देशों में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि नियुक्ति एवं प्रवेश हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ छानवीन समिति से सत्यापित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों की माँग की जाये परन्तु नियोक्ताओं, शैक्षणिक संस्था प्रमुखों तथा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा उक्त संबंध में प्रकाशित विज्ञापनों में छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिए जाने के कारण आवेदकों को अपना सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के लिए छानबीन समिति के समक्ष रायपुर आना पड़ता था नियुक्ति तथा प्रवेश आदि के समय अत्यंत भीड हो जाने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अतः उपर्युक्त स्थिति के समाधान हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की गई है।

19.2.1 पूर्व में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण का सत्यापन सामाजिक प्रास्थिति पत्र उच्च स्तरीय छानवीन समिति से कराने के निर्देश थे। उक्त निर्देश के स्थान पर अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) तथा नियम 2013 के नियम 14 (1) के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है तथा तद्नुसार इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति गठित की गई है। आवेदकों के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र का सत्यापन अपने जिला मुख्यालय पर ही कराया जायेगा।

19.2.2 पूर्व में आरक्षित पदों पर नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं अन्य संवैधानिक निकायों के द्वारा आरक्षित सीट की पूर्ति हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रास्थिति सत्यापन प्रमाण पत्र की मांग की जाती थी परन्तु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 के द्वारा सरकार अथवा केन्द्र सरकार को किसी आवेदक के संबंध में यह शिकायत प्राप्त होती है या संदेह होता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र मिथ्या अथवा फर्जी है तो वह आवेदक को प्रारूप 2 ख में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देगा तथा प्रारूप 1 ख में उस आवेदक का प्रकरण संबंधित जिले की सत्यापन समिति को अग्रेषित कर देगा या उस आवेदक को अपना सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र संबंधित जिले की सत्यापन समिति से सत्यापित कराने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

19.2.3. उक्त अनुक्रम में नियम 2013 के नियम 15 (5) के द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया है कि आवेदक सत्यापन के संबंध में निर्देश प्राप्त होने के 1 माह के अंदर अपना मूल सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 में अपना आवेदन पत्र, प्रारूप 2 ग अनुसार शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापन समिति को प्रस्तुत करेगा अन्यथा सत्यापन समिति उस आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जाँच के लिए छानबीन समिति को अग्रेषित कर देगी।

19.2.4 उक्त के अतिरिक्त नियम 2013 के नियम 15 (2) के द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया है कि सत्यापन समिति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कुल जारी सामाजिक प्रास्थिति पत्रों में से लगभग 10 प्रतिशत प्रमाण पत्रों का क्रमरहित नमूना पद्धति (रेंडम आधार पर) से जाँच करेगी। वर्तमान में जारी किये जा रहे सभी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों को दिये गये युनिक नम्बर के आधार पर कम्प्यूटर के माध्यम से रेण्डम नम्बर से निकालकर उस आधार पर सत्यापित किये जाने वाले प्रमाण पत्र का चयन किया जा सकेगा। भविष्य में साफ्टवेयर से प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होने पर इस प्रकार रेंडम चयन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव हो सकेगा।

19.2.5 उक्त पद्धति के अलावा सत्यापन समितियों के द्वारा अपने जिले के स्कूलों में आकस्मिक दिवस के अंदर उसकी पावती देने, नियम 17 के अंतर्गत संतुष्टि की स्थिति में 1 माह के अंदर सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने तथा नियम 18 के अंतर्गत संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में प्रकरण आवेदक की सुनवाई करने के उपरांत गहन जाँच हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित करने आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है।

20. मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के संबंध में शिकायत :

20.1 जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन के द्वारा अग्रेषित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों की जाँच करने के लिए अधिनियम 2013 की धारा 7 (1) के तहत उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा उक्तानुसार छानबीन समिति का गठन किया गया है।

20.2 अधिनियम 2013 की धारा 7 (1) के अनुसार छानबीन समिति के द्वारा जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन के द्वारा अग्रेषित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों की जांच करने का प्रावधान रखा गया है। अतः उक्त प्रावधान अनुसार मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरण या शिकायत अब सीधे छानबीन समिति को नहीं भेजा जाना है वरन ऐसे प्रकरण जिला सत्यापन समिति को प्रेषित किए जाएंगे तथा जिला सत्यापन समिति के द्वारा धारा 7 (2) के प्रावधान अनुसार समुचित जाँच के उपरांत प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर प्रकरण छानबीन समिति को अग्रेषित किया जायेगा। धारा 7 (1) के अनुसार छानबीन समिति राज्य शासन के द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों की भी जाँच करेगी अतः किसी शासकीय अधिकारी या आम व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के मिथ्या या फर्जी होने के संबंध में कोई जानकारी है या संदेह है तो वह समुचित उल्लेख के साथ शिकायत संबंधित जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन के प्रेषित कर सकता है। यदि कोई आम शिकायतकर्ता ऐसे मिथ्या या फर्जी सामाजिक प्रास्तिथि प्रमाण पत्र धारक के संबंध में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस कर रहा हो कि उसकी शिकायत राज्य शासन के किस विभाग को प्रेषित करना चाहिए तो वह उक्त संबंध में शिकायत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव को भी प्रेषित कर सकता है।

21. मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र निरस्त करने का अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) के द्वारा छानबीन समिति को मिथ्या /फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र निरस्त एवं जप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही धारा 8 (2) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि छानबीन समिति का आदेश अंतिम तथा निर्णायक होगा।

22. मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के आधार पर प्राप्त सुविधाओं को वापस लिया जाना तथा दिए गए लाभ की वसूली

अधिनियम 2013 की धारा 9 (1) एवं धारा 9 (2) के द्वारा मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धारक के द्वारा आरक्षित पद पर प्राप्त नियुक्ति, आरक्षित सीट पर किसी शैक्षणिक संस्था में प्राप्त किया गया प्रवेश तथा ऐसा कोई भी लाभ जो उसके द्वारा उक्त मिथ्या / फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है के वापस लेने का प्रावधान किया गया है। धारा 9 (3) के द्वारा ऐसे लाभ की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने का प्रावधान किया गया है. धारा 9 (4) के द्वारा मिथ्या / फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा आदि को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है तथा धारा 9 (5) के द्वारा आरक्षित सीट पर निर्वाचन होने की स्थिति में प्रमाण पत्र के निरस्त होने की तिथि से उक्त सीट रिक्त माने जाने का प्रावधान किया गया है।

23. मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की जाँच :

23.1 नियम 2013 के नियम 19 से 22 के अंतर्गत छानबीन समिति के द्वारा मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की जाँच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत शनिम्नांकित विषय विशेष रूप से उल्लेखनीय है नियम 27 (1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति के द्वारा यथास्थिति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने सत्यापित करने तथा निरस्त करने की सूचना प्रतिमाह 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर लगायेगी तथा उसकी सूचना उसके स्वायत्त संस्था एवं निकाय, नगर निगम, नगर पालिका ग्राम पंचायत आदि को उनके रिकार्ड के लिए भेजेगी तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर

प्रदर्शित करेगी। साथ ही नियम 27 (2) से (4) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उसकी सूचना राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

23.1.1 नियम 21 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक या आरोपी (जिसके विरुद्ध शिकायत में आरोप लगाया गया है) की जाति के अनुसार ही सामाजिक प्रात्थिति प्रमाण पत्र उचित रीति से जारी किया जाना पाया गया है अर्थात् जाति के संबंध में उसके द्वारा किया गया दावा सही पाया गया है और शिकायत एवं संदेह गलत पाया गया है तो छानबीन समिति को उक्त प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

23 नियम 22 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक या आरोपी की जाति के अनुसार सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र उचित रीति से जारी किया जाना नहीं पाया गया है अर्थात जाति के संबंध में उसके द्वारा किया गया दावा सही नहीं पाया गया है और शिकायत या संदेह सही पाया गया है तो छानबीन समिति सर्तकता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ आवेदक या आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उसकी सूचना अनावेदक या शिकायतकर्ता को देगी तथा उसके उपरांत समुचित रीति से आवेदक अनावेदक तथा अन्य गवाहों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जाँच करेगी।

24. छानबीन समिति का निर्णय

24.1 अधिनियम 2013 की धारा 10 (1) के द्वारा मिथ्या ध फर्जी प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा तथा रुपए 2 हजार से रुपए 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा धारा 10 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अपराध का संज्ञान छानबीन समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर ही किया जावेगा। अतः ऐसे प्रकरणों में जिनमें छानबीन समिति के द्वारा जॉब उपरांत आवेदक या आरोपी के द्वारा मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र पाना सिद्ध पाया है, नियम 24 के अनुसार स्वयं आवेदक /आरोपी के विरुद्ध लिखित में एफ आई आर दर्ज कराया जाना चाहिए या उक्त निर्णय में ही ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर देना चाहिए जिसके माध्यम से यह लिखित एफ आई आर दर्ज कराने का आशय रखती है।

24.2 इसी प्रकार अधिनियम 2013 की धारा 12 (1) के द्वारा मिथ्या / फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध भी दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा नियम 24 (4) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस बात की जाँच कलेक्टर से कराई जानी चाहिए कि क्या सक्षम अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर उक्त कृत्य किया गया है। गलत / मिथ्या प्रमाण पत्र जारी होने पर प्राथमिक जबाबदारी सामाजिक प्रास्थिति का दावा करने वाले व्यक्ति की मानी जायेगी परन्तु घोर लापरवाही अथवा मिलीभगत की स्थिति पाये जाने पर गलत / मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी भी कार्यवाही का नागी होगा। अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत संभावना पूर्वक की गई कार्यवाही को संरक्षण दिया गया है। अतः उक्त अनुक्रम में मिथ्या / फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होना सिद्ध पाए जाने पर या इस संबंध में किसी व्यक्ति के दुष्प्रेरक होना पाए जाने पर छानबीन समिति को अपने निर्णय में ही कलेक्टर को उक्त संबंध में जाँच करने के निर्देश दे दिया जाना चाहिए तथा कलेक्टर के द्वारा जांच उपरांत नियम 25 के अनुसार लिखित (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराई जानी चाहिए।

25. **सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने की आम सूचना तथा उक्त संबंध में राज्य शासन को मासिक प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत्।** नियम 27 (1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति के द्वारा यथास्थिति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने सत्यापित करने तथा निरस्त करने की सूचना प्रतिमाह 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर लगायेगी तथा उसकी सूचना उसके स्वायत्त संस्था एव निकाय, नगर निगम, नगर पालिका ग्राम पंचायत आदि को उनके रिकार्ड के लिए भेजेगी तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी। साथ ही नियम 27 (2) से (4) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उसकी सूचना राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

मनोज कुमार पिंगुआ
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय –8
पांचवी अनुसूची
(अनुच्छेद 244 (1))

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में

भाग–क
साधारण

1. **निर्वचन** : इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य नहीं हैं।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति** – इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

3.

4. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन**– ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं. प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग–ख
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

5. **जनजाति सलाहकर परिषद** – (1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।

परन्तु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाए।

(3) राज्यपाल–

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या को उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को,

(क) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को और

(ख) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को, यथा स्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा ।

6. **अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि** –(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मण्डल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसुचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उप पैरा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम –

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अन्तरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे

(ख) ऐसे क्षेत्र के जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे,

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं. साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप पैरा (2) में निर्दिष्ट है. राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमण्डल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है।

भाग–ग
अनुसूचित क्षेत्र

7. **अनुसूचित क्षेत्र** – (1) इस संविधान में अनुसूचित क्षेत्र पर से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा

(क) निर्देश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा,

(क(क) किसी राज्य के किसी अनूसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके, परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर सा नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है. अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखण्डित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपालन से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा, और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हो, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भाग–घ
अनुसूची का संशोधन

8. अनुसूची का संशोधन – (1) संसद समय–समय पर विधि द्वारा इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस सविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है। (2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है. इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

अध्याय–9

(iii) अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण एवं अधिकार

सदियों से देश का आदिम समाज विकास की मुख्यधारा से विलग रहा है। स्वाधीनोपरांत जब देश में नवीन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ तो सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं ने इस वर्ग को अनेकानेक संवैधानिक सुरक्षाएँ प्रदान की ताकि यह वर्ग समाज की मूलधारा के पथ पर प्रगति के उत्तम सोपान को स्पर्श कर सके। प्रस्तुत अध्याय में जनजाति वर्ग को प्राप्त ऐसे ही संवैधानिक संरक्षण अधिकारों की व्याख्या है।

01. विकास तथा संरक्षात्मक संरक्षण :

आजादी उपरान्त समाज का समग्र विकास संतुलित रूप से नहीं होने के कारण संविधान के प्रस्ताव में ये संरक्षण संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है तथा अनुच्छेद 46 में एक व्यापक विशेष प्रावधान है जिसमें विकास और विनियमन संबंधी दोनों प्रकार के पहलू सम्मिलित है। यह अनुच्छेद निम्न प्रकार है :–

राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टितया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

02. सामाजिक संरक्षण :–

मानव समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक संरक्षण के लिए प्रावधान :–

(i) चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामले शामिल नहीं थे, संसद ने अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने हेतु 1909 में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के रूप में जाना जाता है, जो 30.01.1990 की प्रभाव में आया। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए भारत सरकार 31.03.1995 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 अधिसूचित किए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1989 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की प्रतियां क्रमशः अनुबंध तथा ण पर रखी गई है।

(ii) अनुच्छेद 23 :– मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् सम प्रतिशिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का अलग से उल्लेख नहीं है। परंतु चुंकि बहुसंख्या बँधुवा मजदूर अनुसूचित जनजाति के होते हैं, इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा बंधक मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया गया । इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए बंधुवा मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए श्रम मंत्रालय, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है।

(iii) **अनुच्छेद 24**– में प्रावधान है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जायेगा। बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून है।

यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति) के साथ ही सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि

खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नहीं, तथापि काफी बड़ा भाग इन वर्गों का है।

(iv) 'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निसिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योगयता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने के लिए संसद ने एक अधिनियम अर्थात अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया। इस अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सख्त बनाने के लिए 1976 में अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में पुनः निर्मित भी किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार, भारत सरकार ने नियम अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए भी अधिसूचित किए ।

03. अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आर्थिक संरक्षण

उपर्युक्त अनुच्छेद 23, 24 तथा 46 के प्रावधान भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक संरक्षणों के अंश हैं। अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विशिष्ट सुरक्षण नीचे दिए जा रहे है :–

(i) **अनुच्छेद 244 : खण्ड (1)** के अनुसार, पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे। खंड (2) के अनुसार, छठी अनुसूची के प्रवधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीया क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।

(ii) **अनुच्छेद 275 (1)** में प्रावधान है कि विधि द्वारा संसद ऐसी राशियों की व्यवस्था कर सकता है जो ऐसे राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि में से निकाली जाएंगी जैसा संसद, सहायता की आवश्यता तथा भिन्न–भिन्न राशियां निर्धारित करे।

किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसा पूँजी और आवर्ती राशियाँ संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए। इस अनुच्छेद में छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को भारत की संचित निधि में से ऐसे विशेष अनुदान देने के लिए भी उपबंध है।

पांचवी अनुसूची –

पाँचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचति जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। ऐसे दस राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हे अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान इन राज्यों के राज्यपालों के पास विशेष उत्तरदायित्व तथा शक्तियां है। इन राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदें हैं। (इनके अतिरिक्त तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी, जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, सांविधिक जनजाति सलाहकार परिषदें है। इन दस राज्यों के राज्यपालों के पास किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए, विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियम (रेग्युलेशन) बनाने की शक्ति है–

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या आपस में ही भूमि के अंतरण की प्रतिशोध या निबंधित करना,

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन करना,

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धन उधार देते हैं. साहूकार के रूप में कारोबार का विनियमन करना।

1. निम्नलिखित आदेश अपने मूल व संशोधित रूप में वर्तमान में प्रचलन में है

क.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य/राज्यों का नाम जिसके लिए लागू है.
1.	दिशेड्यूल एरिया (पार्ट एस्टेटस आर्डर, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आन्ध्र प्रदेश
2.	दि शेड्यूल एरियाज (पार्ट ए स्टेटस आर्डर. 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आन्ध्र प्रदेश
3.	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ. 102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4.	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
5.	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
6.	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश 1985 (सी.ओ.123)	12.2 1981	महाराष्ट्र
7.	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्यप्रदेश राज्य) आदेश. 2003 (सी.ओ. 192)		छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्यप्रदेश

04. शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण

(1) अनुच्छेद 15 84) :– राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है। यह उपबंध संविधान में संविधान (पहले संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए थे। इस उपबंध ने राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी अभियांत्रिकी तथा कॉलेजों सहित संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों में स्थान सुरक्षित करने के अधिकार दिए। इस अनुच्छेद में तथा अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्गों की कई श्रेणियां शामिल हैं यथा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जातियां तथा घुमंतु / अर्धघुमंतू (खानाबदोश) जातियां या समुदाय ।

(ii) अनुच्छेद 29 (1) में प्रावधान है कि भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है। संथालों की अपनी अलग लिपि भी है जिसे आलोचिकी कहते हैं। परन्तु इस प्रावधान को, केवल जनजातियों को उनकी भाषा में शिक्षित करने के लिए आवश्यक न समझा जाए तथा इसके द्वारा उन्हें अलग न किया जाए। जनजातीय लोगों को राज्य तथा राष्ट्रीय भाषा में शिक्षित किया जाए ताकि वे बाहरी ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(iii) अनुच्छेद 350 (क) प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्रभारी, भाषाई अलपसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसा सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी–अपनी भाषा अथवा बोली होती है, जो प्रायः राज्य की राजभाषा के भाषी परिवार की न होकर भिन्न भाषा परिवार की होती है।

05. राजनीतिक संरक्षण

1. **अनुच्छेद 164 (1)** में प्रावधान है कि बिहार छ.ग. मध्यप्रदेश और उडीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है।
2. **अनुच्छेद 330** लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण या अन्य बातों के साथ–साथ व्यवस्था करता है कि :–

(i) **लोक सभा में –**

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए

(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ii) **खंड (1)** के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथासाक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या घ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

(iii) **खंड (2)** किसी बात के होते हुए भी लोकसभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नही होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

3. **अनुच्छेद 332** राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यह अन्य बातों के साथ व्यवस्था करता है कि

(i) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ii) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।

4. अनुच्छेद 334 में मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रधान (और लोकसभा तथा कुछ राज्यों की विधानसभाओं में नामजदगी द्वारा ऐग्ली इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) संविधान के प्रारंभ के दस वर्ष की अवधि के अंत पर समाप्त हो जायेगा। इस अनुच्छेद का संशोधन पांच बार किया जा चुका है और प्रत्येक अवसर पर उक्त अवधि को दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

5. अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण यह अन्य बातों के साथ–साथ व्यवस्था करता है कि :–

(i) इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले सीनों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनु जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(ii) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई सीन यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(iii) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई

स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(iv) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

6. सेवा संरक्षण

(i) **अनुच्छेद 16(4)** राज्य को पिछड़े हुए नागरिको के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों में आ का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

(ii) अनुच्छेद 16(4क) इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन उन सेवाओं में किसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों पर पारिणामिक वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेंगी जिनमें राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। (संविधान सतहत्तरवा संशोधन) अधिनियम, 1995, जिसे संविधान (पचासीवा संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से आग संशोधित किया गया था।

(iii) अनुच्छेद 16(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्ष के भरे न गए रिक्त पदों को जोखंड (4) अथवा खंड (क) के अन्तर्गत आरक्षण के लिए किए गए किसी प्रावधान के अनुसार, उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किए गए हो किसी उत्तरवर्ती वर्ष अथवा वर्षों अनु भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में विचार किए जाने से निवारित नहीं करेगी और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को उस वर्ष के कुल रिक्त पदों की संख्या के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जिस वर्ष वें भरी जा रही हों। (संविधान इक्यासीवा संशोधन) अधिनियम, 2000

(iv) अनुच्छेद 335 संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने, में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। उक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित परन्तु जोड़ने के लिए संविधान (बियासीवाँ संशोधन) रखा जायेगा।

अधिनियम, 2000 द्वारा इसका संशोधन किया गया–

परन्तु इस अनुच्छेद में कोई भी बात, संघ अथवा किसी राज्य के कामकाज के सिलसिले में सेवाओं में पदों किसी वर्ग अथवा किन्ही वर्गों में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में अर्हक अंकों में ढील दिए जाने अथवा किसी अर्हक परीक्षा मे मूल्यांकन के मानक अपेक्षाकृत कम रखे जाने की दृष्टि से कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

(v) अनुच्छेद 320 (4) में प्रावधान है कि खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा

आयोग से रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 16 (45) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।

07. सामाजिक–आर्थिक संरक्षण

(i) संविधान के अनुच्छेद 338 (क) का खंड (9) निम्न प्रकार से है –

संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर, आयोग से परामर्श करेगी।

(ii) संविधान में, संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य बनाया गया है। आयोग का यह अति महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी मुख्य नीतिगत निर्णयों तथा की गई वैधानिक और कार्यकारी कार्रवाई पर ध्यान रखेगा।

(iii) अनुच्छेद 338 (क) के खंड 5 (ग) के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अपेक्षित है। इन क्षेत्रों में आयोग का कार्य, विभिन्न स्तरों पर अर्थात योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक क्रिया करना शामिल है। आयोग तथा इसके मुख्यालय और राज्य कार्यालयों दोनों के अधिकारी, जनजातीय उप–योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियाँ तथा विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करने मे भाग लेते हैं।

———00———

08 जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

क्र.	जनजातियों के संवैधानिक हितों/अधिकारों के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण	संविधान की अनुच्छेद
1	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।	अनुच्छेद–13) 13 (2) (क)
2.	समता के अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।	अनुच्छेद–14
3.	धर्म भूतयश जाति लिंग या जन्मस्थान के अधार पर विभेद का प्रतिषेध ।	अनुच्छेद–15)
	अनुसूचित जनजातियों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है तथा इनके उन्नति के लिए विशेष उपबंध (आरक्षण) बनाने का प्रावधान है।	अनुछेद–15 (4)
4.	इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।	अनुच्छेद–16 (4)(क)
	इस अनुवाद की कोई बाद राज्य को किसी वर्ष में किन्ही न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खड (4) या खंड (45) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष मे भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों मे भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमे वे भरी जा रही हैं. उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।	अनुच्छेद–15 (ख)
5.	वाक्–स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।	अनुच्छेद–19
6.	मानव के दुर्गापार और बलात्श्रम का प्रतिषेण ।	अनुच्छेद–23
7.	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।	अनुच्छेद–38
8.	अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सबधी हितों को अनिवृद्धि ।	अनुच्छेद 46
9.	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है।	अनुच्छेद–244(1)
	73 वॉ संविधान संशोधन द्वारा पावती अनुसूची पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच पद पर जनपद पंचायतो/ जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद तथा उक्त पंचायतों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक पच / जनपद सदस्य / जिला पंचायत सदस्य आदि पर आदिवासीयों के लिए आरक्षित है।	अनुच्छेद–244(1)
	अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि (कानून) का स्पष्ट प्रावधान है अर्थात् इन क्षेत्रों में भूमि का अंतरण और आवंटन, बैंकिंग सिस्टम, शांति एवं प्रशासन इत्यादि संबंधी प्रशासनिक कार्य गैर आदिवासी क्षेत्रों से अलग होगा।	अनुच्छेद–244(1)5
	छठी अनुसूची के उपबंध (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए होंगे)	अनुच्छेद–244(2)
10.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के संचित निधि से राज्य सरकार को अनुदान राशि देने का प्रावधान है।	अनुच्छेद–275(1)
11.	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।	अनुच्छेद–330
12.	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।	अनुच्छेद–132
13.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (1) अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाने के लिए अनुसूचित जन जातियों के लिए एक आयोग होगा।	अनुच्छेद–338
14.	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कारण के बारे में संघ का नियंत्रण	अनुच्छेद–339
15.	भारत के प्रत्येक राज्य में निवासरत (आदिवासी) अनुसूचित जनजाति की सूची महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है।	अनुच्छेद– 342

अध्याय –10

छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्र. एफ 13–2/2021/आ.प्र./1–3, नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 3(ड.) (ग्यारह) तथा इस विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013 की कंडिका–2.1(5)(ट) में यह प्रावधान स्पष्ट है कि, **"जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प"।**

2/ इस विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 13–10/2019/आ.प्र./1–3 दिनांक 17.09.2019 का भी स्मरण करें, जिसमें नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

3/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि, जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि, आपके जिले के अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को तत्काल निर्देशित करें कि उक्त नियम–निर्देशों में दिये गये प्रावधानों के तहत नियमानुसार (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र) जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

112
22.07.2021

N.I.C. STATE UNIT RAIPUR
No. 342
Date 20/7/21

क्रमश:..2

/2/

पृ.क. एफ 13–2/2021/सा.प्र./1–3. नवा रायपुर, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाइंट, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. रजिस्ट्रार जनरल मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. समस्त निज सचिव/निज सहायक मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
9. सचिव समस्त निगम/मंडल/आयोग, छत्तीसगढ़।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, नवा रायपुर।
11. संचालक, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, नवा रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. संचालक, राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर इस परिपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

महत्वपूर्ण प्रकरण/तत्काल
स्मरण- परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क. एफ 13–16/2015/आ.प्र./1–3, अटल नगर, दिनांक 24/07/2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी/गलत) प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं समाप्त करने बाबत्।

संदर्भ.– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 13–16/2015/आ.प्र./1–3 दिनांक 26.10.2019 समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.11.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5.12.2020 एवं स्मरण पत्र दिनांक 7.1.2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 4.2.2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 30.06.2021

कृपया संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्रों द्वारा भी पूर्व में निर्देशित किया गया है कि, ऐसे शासकीय सेवकों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जानी है जिनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी/गलत पाए गए है। अतः आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिनके जाति प्रमाण पत्र **"जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति"** द्वारा झूठे (फर्जी/गलत) पाए जाने पर निरस्त कर दिया है। उन प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग के नियम–निर्देशों के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई है? उन समस्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी **तत्काल** इस विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2/ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आपके विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी/गलत पाए गए है। उन्हें तत्काल सेवा/महत्वपूर्ण पदों से पृथक किया जाए। ऐसे सम्पूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए तथा ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए।

3/ सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट दायर किया जाए। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय का स्थगन प्राप्त हो, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विधि विभाग द्वारा समीक्षा की जाए और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाए।

कमशः 2

/2/

4/ संदर्भित परिपत्रों एवं स्मरण पत्रों द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आपके विभाग से संबंधित फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आपके विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों से चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः पुनः अनुरोध है कि, वांछित जानकारी **निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क. एफ 13–16/2015/आ.प्र./1–3, अटल नगर, दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मान.मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. सचिव, छ.ग.लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
15. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
17. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान.उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
18. संचालक, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
19. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www. gad.cg.gov.in** पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर

क. एफ 13–4/2011/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर दिनांक 02/09/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़.

विषयः– अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में।

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क. 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2000 का कियान्वयन करने हेतु भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क. 36011/2/2010 (आरक्षण), दिनांक 10.8.2010 एवं म.प्र. राज्य द्वारा जारी परिपत्र क. एफ 7–21/2011/आ.प्र./एक, दिनांक 7.3.2011 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही इस राज्य में इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ 13–4/2011/1–3 दिनांक 1.10.2011 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे व्यक्तियों जिन्हें महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जारी संविधान (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उनकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्त पद पर हुई है तथा नियुक्ति दिनांक 28.11.2000 के पूर्व अंतिम हो चुकी है, वह प्रभावित नहीं होगी, किन्तु उन्हें दिनांक 28.11.2000 के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया विरूद्ध दत्तात्रेय पुत्र नामदेव मेंढेकर एवं अन्य ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1678 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 1.10.2011 को परिपत्र कमांक एफ 13–4/2011/आ.प्र./1–3 दिनांक 11.1.2016 द्वारा निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क. 147/2016 एवं इसी तरह की अन्य याचिकाओं में एकल पीठ द्वारा एकजाई पारित आदेश दिनांक 1.7.2016 तथा W.A.No.531/2016 एवं अन्य अपील याचिकाओं में (युगल पीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2017 में उक्त जातियों के कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं।

3/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक 36012/12/2013–Estt. (Res.) दिनांक 08.04.2019 को भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के समसंख्यक कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 24.07.2020 द्वारा (withdraw) वापस ले लिया गया है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.06.2020 को निरस्त किया जाता है।

कमशः..2

4/ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा W.A.No.531/2016 एवं अन्य अपील याचिकाओं में (युगल पीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2017 के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 28.11.2000 से पूर्व सेवा में नियुक्त हैं, जो वास्तव में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के हलबा जनजाति/समुदाय के सदस्य हैं, जिन्होंने बिना किसी तथ्यों को छुपाये बिना हलबा कोष्टी/कोष्टी का जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार प्राप्त किया है, उनकी सेवाओं को संरक्षण की पात्रता होगी तथा दिनांक 28.11.2000 के पश्चात् सामान्य श्रेणी का माना जाएगा तथा भविष्य में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5/ ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के हलबा जनजाति/समुदाय के नहीं है एवं अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश प्रवासित हुए हैं, उन्हें मध्यप्रदेश का हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति का नहीं माना जाएगा साथ ही उनके द्वारा हलबा कोष्टी/कोष्टी का गलत तथ्यों के आधार पर या किसी तथ्य को छुपाकर/कूटरचित/फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उनकी सेवाएं संरक्षित नहीं होगी, और न ही कोई लाभ प्राप्त होगा।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क. एफ 13–4/2011/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 02/09/2021

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर।
3. विशेष सहायक/निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
6. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, छ.ग.बिलासपुर।
7. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. सचिव, समस्त निगम/मंडल/आयोग रायपुर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
11. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर।
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
13. संचालक, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
15. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

कमांक एफ 1–1/2012/1–3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/01/2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छत्तीसगढ़।

विषय :– संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में माननीय राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012

——:——

उपरोक्त विषयक संदर्भित अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 में संशोधन करते हुए, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, संबंधी अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2021/1–3, दिनांक 11 जनवरी, 2022 जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

3/ आदेशानुसार उक्त अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2022 के अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एस.के.सिंह) 13-01-2022
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क0 एफ 1–1/2012/1–3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/01/2022

प्रतिलिपि :–

01. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. आयुक्त, बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

03. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय अटल नगर, रायपुर की ओर संलग्न अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.gad.cg.gov.in** में अपलोड करने हेतु।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

अवर सचिव, 13-01-2022
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2022 — पौष 21, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

अटल नगर, दिनांक 11 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3. – यत:, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप–पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित "नियुक्ति के लिए पात्रता" संबंधी प्रावधान को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ–1–1/2012/1–3, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा उपांतरित करते हुए, आदेशित किया था कि "इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे;"

अतएव, उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"बस्तर तथा सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, दिनांक 11–01–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क. एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3, नवा रायपुर, दिनांक 29/10/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04.12.2012

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के साथ अधिसूचना कमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र/1–3 दिनांक 29 नवंबर, 2012 की प्रति संलग्न प्रेषित की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी अनुसूची 'एक' 'दो' एवं 'तीन' के स्थान पर नवीन अनुसूची 'एक' एवं 'दो' प्रतिस्थापित की गई है। जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुसूची 'दो' में संभाग तथा जिला स्तर पर सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्ग के लिए) माडल रोस्टर निर्धारित किया गया है।

2/ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 11–04/2019/सात–4 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 द्वारा बिलासपुर जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए नवीन जिले को परिभाषित कर **जिला–"गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही"** का सृजन किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा **जिला–बिलासपुर** एवं नवीन **जिला–"गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही"** का आरक्षण प्रतिशत संशोधित किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई अधिसूचना कमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 21.10.2021 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(एस.के.सिंह) 29.10.21
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः...2

/2/

पृ.क. एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 29/10/2021

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. मान. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
6. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर।
7. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नवा रायपुर
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
12. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. आयुक्त, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
15. संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे, रायपुर, छ.ग.।
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नवा रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

29.10.21

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 — आश्विन 29, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में–

1. अनुसूची–दो के मुख्य सरल क्रमांक–दो में,

(क) उप–सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11.		बिलासपुर	अनु. जाति 19%	2, 8, 14, 20, 24, 29, 35, 41, 45, 51, 56, 62, 66, 72, 77, 81, 87, 93, 99
			अनु. जनजाति 15%	4, 10, 16, 23, 31, 37, 43, 50, 58, 64, 70, 78, 85, 91, 97
			अ. पि. व. 14%	5, 12, 18, 26, 33, 39, 47, 54, 60, 68, 75, 83, 89, 95"

छत्तासगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में **"अंग्रेजी" में अधिसूचित जाति** को मान्य करने बाबत्।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013

———

कृपया इस विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें।

2/ वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी किये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों के संबंध में शासन के ध्यान में लाया गया कि, विभिन्न जातियों/ समुदायों में हिन्दी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.09.2013 की कंडिका–11.3 में उल्लेख है कि, विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेजी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेजी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की मांग की जाती है तो समुचित जांच एवं प्रकिया अपनाने के उपरान्त उसे उक्त प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

4/ उक्त परिपत्र में दिये निर्देश के अनुकम में स्पष्ट किया जाता है कि, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हिन्दी/अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है। उक्त प्रकाशित सूची में **अंग्रेजी** उच्चारण में किसी प्रकार की भ्रांति या विवाद नहीं है।

कमशः...2

/2/

5/ अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में "अंग्रेजी" में **अधिसूचित जाति** का ही उल्लेख किया जाए।

6/ उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. अवर सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
8. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
10. अध्यक्ष/सचिव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
11. अध्यक्ष, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
13. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

17/05/2022

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR
No. 539
Date 17/05

अध्याय –11
आयोग द्वारा निष्पादित कार्य वर्ष 2020–21

श्री आर0आर0 ध्रुव, प्राचार्य को निलम्बन से बहाल कराया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में आवेदक आर0आर0 ध्रुव, प्राचार्य, शा0उ0मा0वि0 उषाढ़, वि0खं0–मरवाही, जिला–बिलासपुर (छ0ग0) ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राचार्य के पद पर पदोन्नति उपरांत उन्होंने दिनांक–21.02.2014 को प्राचार्य के पद पर राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन हाई स्कूल उषाढ़ वि0खं0–मरवाही, जिला–बिलसपुर में पदभार ग्रहण किया था, किन्तु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मरवाही द्वारा उनकी उपस्थिति मान्य नहीं करते हुए उन्हें वेतन नहीं दिया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक–11.09.2020 को निलंबित कर दिया गया।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सुनवाई की गई तथा आवेदक को सेवा में बहाल करते हुए स्वत्वों के भुगतान के लिए कहा गया। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र./एफ 1–30/2019–20–4 एक, नवा रायपुर दिनांक–01.07.2021 द्वारा रज्जूराम ध्रुव निलंबित प्राचार्य को निलम्बन से बहाल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के मार्फत आवेदक को अनुतोष प्राप्त हुआ। आवेदक संतुष्ट हुआ।

नीलक्रांति योजना के अंतर्गत मछली पालन हेतु ऋण दिलाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में आवेदिका श्रीमती विमला नाग, इन्द्रावार्ड 16, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0) ने दिनांक–31.08.2020 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्होंने नीलक्रांति योजना अंतर्गत मछली पालन हेतु ऋण प्रदाय करने के संबंध में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बस्तर में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, किन्तु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बस्तर के शखा के प्रबंधक द्वारा 25 बैंको से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 02 जमानतदार लाने कहा गया तथा लोन प्रदाय नहीं किया गया।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मुख्य प्रबंधक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, मुख्यालय, रायपुर को ऋण प्रदाय करने हेतु पत्र लिखा गया, जिसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, मुख्यालय, रायपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका श्रीमती विमला नाग को तालाब निर्माण एवं मछली पालन हेतु रू. 6.80 लाख (रूपये छः लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के मार्फत आवेदिका को अनुतोष प्राप्त हुआ। आवेदिका संतुष्ट हुई।

बयाना राशि लेने के बाद भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने के संबंध में।

आवेदक शिव प्रसाद कृषाण, जाति–हल्बा, सल्हाईटोला, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (छ0ग0) ने वर्ष–2020 में लव कुमार पिता रंजीत, हालमुकाम हाटकोंदल, कालागांव पकलापारा, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उ0ब0कांकेर (छ0ग0) से उनकी ग्राम–औंराटोला, प.ह.नं. 22, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 67/1, रकबा 0.32 हे0 भूमि को क्रय करने हेतु रू. 19,00,000/– में क्रय करने हेतु इकरारनामा किया गया। क्रेता शिव प्रसाद के द्वारा बयाना स्वरूप रू. 2,05,000/– की राशि अनावेदक लव कुमार को दिया गया। किन्तु अनावेदक लव कुमार द्वारा बाद में उक्त भूमि को विक्रय करने से मना किया गया तथा बयाना की राशि भी वापस नहीं की जा रही थी। इससे परेशान होकर आवेदक शिव प्रसाद कृषाण के द्वारा आयोग में बयाना की राशि मय ब्याज वापसी हेतु आवेदन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उभय पक्षों को समक्ष में आहूत कर अनावेदक लव कुमार को बयाना की राशि मय ब्याज वापस लौटाने के निर्देश दिये गये। अनावेदक द्वारा **दिनांक–10.02.2022** को मय ब्याज राशि रू. 2,20,000/– आवेदक शिव प्रसाद कृषाण (मृत) के पुत्र डामेन्द्र कृषाण को चेक के माध्यम से रू. 2,00,000/– एवं रू. 20,000/– ऑनलाईन खाते में जमा किया गया। आयोग की कार्यवाही से आवेदक संतुष्ट हुआ, उनके निवेदन पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

बायोटायलेट के साफ–सफाई का ठेका प्राप्त Hughes & Hughes कम्पनी, नई दिल्ली के दुर्ग साईड सुपर वाईजर पर कर्मचारियों से जबरन पैसा वसूली करने और काम से निकालने की धमकी देने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में नकुल ठाकुर विमला होटल के पास, गांधी चौक, तितुरडीह, जिला–दुर्ग (छ0ग0) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह द0 पूर्व मध्य रेलवे कोच केयर डिपो दुर्ग में सवारी डिब्बों के बायोटायलेट के साफ–सफाई का ठेका प्राप्त Hughes & Hughes कम्पनी, नई दिल्ली के दुर्ग में कार्यरत है। कम्पनी ठेकेदार द्वारा पांच पुराने कर्मचारी को काम पर नहीं रख नए–नए कर्मचारियों को काम पर रखा जा रहा था। रेल श्रमिक यूनियन के माध्यम से लेबर कमिश्नर रायपुर के आदेश पर आवेदक को काम पर तो रख लिया गया, पर वेतन का आधा वेतन वापस ले लिया जाता था और पैसा नहीं देने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है।

उक्त शिकायत पर आवेदक तथा अनावेदक पक्ष को समंस जारी कर माननीय आयोग में तलब किया गया। दिनांक–31.05.2022 को आवेदक द्वारा कथन किया गया कि उसे कम्पनी वालों से पैसा प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी वालों एवं रेलवे के अधिकारियों द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दी जा रही है। किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है। आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट हुआ। आवेदक की संतुष्टी के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध मे।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में कु0 खुशबू गंगराले, छात्रा प्रथम वर्ष, शासकीय कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, नारायणपुर (छ0ग0) को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर दण्डात्मक शुल्क लेने, अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित करने तथा सांस्कृतिक, खेलकूद, एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी. कार्यक्रमों में भाग लेने से वंचित करने संबंधी शिकायत पर प्रकरण क्रमांक–290/2020 पंजीबद्ध है।

अधिष्ठाता, शासकीय कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, नारायणपुर, जिला–नारायणपुर (छ0ग0) द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्र./846, दिनांक–12.11.2021 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमें लेख किया गया है कि उक्त महाविद्यालय में अनुशासनहीनता बरतने वाले 10 छात्र–छात्राओं के विरूद्ध महाविद्यालय अनुशासन समिति में अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के एकेडमिक रूल के तहत कुलपति की अनुशंसा उपरांत, कुल सचिव द्वारा प्रारंभ छात्रों के विरूद्ध रू. 10000/– दंडात्मक शुल्क अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरण एवं खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस. में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। दंडित छात्रों के निवेदन पर रू. 10000/– दंड शुल्क वापस ले लिया गया है। खुशबू गंगराले के विरूद्ध रू. 5000/– दण्डात्मक शुल्क नहीं लगाया गया है। उक्त छात्रा के विरूद्ध अन्य अधिरोपित दण्ड विश्वविद्यालय के एकेडमिक रूल के तहत 16.02 (b) (c) (c), 16.04 (a) (f) (h) के तहत होने के कारण यथावत है।

आवेदिका कु0 खुशबू गंगराले एक आदिवासी वर्ग की छात्रा है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें सुधरने का अवसर नहीं देते हुए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी. जैसी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया है, जो कि एक छात्रा के सर्वांगिण विकास में बाधा होगी।

अतः उक्त छात्रा को सुधरने का अवसर देते हुए उनके ऊपर लगाये गये प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार किया जावे।

आवेदिका आवेदिका कु0 खुशबू गंगराले द्वारा दिनांक–20.04.2022 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर द्वारा उनके ऊपर लगाये गये रू. 10,000/– अर्द्धदण्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस., एन.सी.सी. आदि पर लगाये गये प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है। आवेदिका संतुष्ट है एवं आयोग को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर के समक्ष आवेदक खोरबहरा राम नेताम, जाति–गोंड, ग्राम–बुरिदकला, तह0–गुरूर, जिला–बालोद (छ0ग0) ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका पुत्र संजय कुमार एवं पुत्री कु0 नर्मदा, कु0 वर्षा के दादा–परदादा के पास निजी प्रकार की पैतृक संपत्ती नहीं है।

आवेदक द्वारा अपने बच्चों पुत्र संजय कुमार एवं पुत्री कु0 नर्मदा, कु0 वर्षा का सामाजिक प्रास्थित प्रमाण पत्र बनाने का निवेदन किया गया। आवेदन पत्र के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर,

जिला–बालोद, से पत्राचार कर छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक, प्रास्थिति नियम–2013 की कण्डिका–3 (ङ) के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक द्वारा अपने पिता/पूर्वज से संबंधित उल्लेखित दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर, जिला–बालोद द्वारा आयोग के निर्देश के अनुपालन में आवेदक खोरबहरा राम नेताम के पुत्र संजय कुमार एवं पुत्री कु0 नर्मदा, कु0 वर्षा का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कर दिया गया है। आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट है एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

धोकाधड़ी कर जमीन बेचने के संबंध में।

आवेदक शत्रुघन सिंह पिता श्री नोहर सिंह, जाति–हल्बा, ग्राम–मुजारगोंदी, तह0–गुरूर, जिला–बालोद ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अनावेदक परमानंद साहू, जाति–तेली, निवासी ग्राम–मचांदुर, तह.–चारामा, जिला–उ0ब0कांकेर ने अपने पिता की भूमि खसरा नं.–306, रकबा–55 डिसमिल का सौदा रु. 3.35 लाख में किया था, जिसमें से 2.00 लाख आवेदक को दे चुका है, शेष राशि रजिस्ट्री उपरांत दिया जाना है। किन्तु अनावेदक द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री की गई न ही पैसा दिया जा रहा है। इस प्रकरण पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। तथा अनावेदक को पैसा लौटाने के निर्देश दिये गये। अनावेदक द्वारा अपनी एक एकड़ भूमि को आवेदक शत्रुघन सिंह को 08 वर्ष हेतु बोने खाने को देने हेतु सहमत हुआ। आयोग की कार्यवाही से आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध करने हेतु निवेदन किया गया।

धान विक्रय की शेष राशि आवेदक को दिलाई गई।

आवेदक थान सिंह दीवान, जिला–महासमुंद द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्होंने श्री सन्नी जैन, गुरू तेगबहादुर राईस मिल कोसरंगी, तह0+जिला–महासमुद के पास धान विक्रय किया है। विक्रय की कुल राशि में से रु. 3,50,700/– सन्नी जैन के द्वारा देने में आनाकानी किया जा रहा है। आवेदक के द्वारा उक्त राशि दिलाने का आग्रह किया गया है। आयोग द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेकर आवेदक तथा अनावेदक को साक्ष्य/कथन हेतु आहूत किया गया तथा अनावेदक सन्नी जैन को रु. 3,50,700/– धान विक्रय की राशि भुगतान करने के निर्देश दिये गये। अनावेदक सन्नी जैन के द्वारा चेक क्रमांक/005031, दिनांक–04.02.2022 के माध्यम से राशि रु. 3,50,700/– आवेदक थान सिंह दीवान को दिया गया। आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट हुआ। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

संतोष कुमार ध्रुव, वाहन चालक को निलम्बन से बहाल कराया गया।

आवेदक संतोष कुमार ध्रुव, वाहन चालक, समाज कल्याण विभाग ने आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संयुक्त संचालक, समाज कल्याण संचालनालय के द्वारा उन्हें बगैर कारण बताओं नोटिस दिये दिनांक–01.12.2021 को वाहन चालक के पद से निलम्बित कर दिया गया है तथा आज पर्यन्त उन्हें

निलम्बन से बहाल नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा निलम्बन से बहाल कराने का आग्रह किया गया है।

प्रकरण पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए संचालक, समाज कल्याण विभाग, छ.ग. को नोटिस जारी कर आवेदक को विधि विरूद्ध किये गये निलम्बन से बहाल करने हेतु लिखा गया है। संचालक, समाज कल्याण विभाग छ.ग. के आदेश क्रमांक/स्था.–2/725/2022/824, रायपुर दिनांक–18.08.2022 के द्वारा आवेदक संतोष सिंह ध्रुव, वाहन चालक को निलम्बन से बहाल किया गया। आवेदक की संतुष्टी के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिलाई गई।

आवेदक श्री संतराम ध्रुव, मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक, कार्यालय, मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन, बी ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर ने माननीय आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह वर्तमान में मुख्य लेखा परीक्षक के पद पर पदस्थ है तथा मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता एवं पात्रता रखते हैं। किन्तु आज पर्यन्त उनकी पदोन्नति नहीं की गई है। आयोग द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए उर्जा विभाग, छ.ग. शासन को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। उर्जा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र क्रं./एफ 1–3/2020/13/1, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक–24.08.2021 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि आवेदक श्री ध्रुव की वर्ष–2018–19 की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पाई है। आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक–03.09.2003 के नियम बिन्दु क्रमांक–6 (6) के अनुसार ''जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो विभागीय पदोन्नति समिति विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।'' उक्त निर्देश के आधार पर पदोन्नति करने हेतु उर्जा विभाग को कहा गया।

आयोग के निर्देश उपरांत उर्जा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1–3/2020/13/1 नवा रायपुर, दिनांक–02.03.2022 के द्वारा आवेदक की पदोन्नति मुख्य शुल्क अधिकारी के पद पर की गई। आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट हुआ तथा प्रकरण नस्तीबद्ध करने का निवेदन किया गया।

————00————

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिलावार, प्रकरणवार कार्यवाहियों की जानकारी
(01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की स्थिति में)

क्र.	जिला का नाम	जातिगत मामला (प्रताड़ना) हत्या, बलात्कार, अपहरण, मारपीट, आर्थिक अंगभंग शारीरिक, चोरी, मानसिक			राजस्व प्रकरण भूमि, भवन एवं बेजा कब्जा			विभागीय प्रकरण वेतन भत्ता, पदोन्नति, पेंशन, स्थानांतरण			अन्य प्रकरण दुर्घटना, अनुदान, लोन, क्षतिपूर्ति, भरण–पोषण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भ्रष्टाचार जनित			कुल योग प्रकरण		
		पुराने लंबित एवं वर्तमान वर्ष में पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्तमान चलित प्रकरण	पुराने लंबित एवं वर्तमान वर्ष में पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्तमान चलित प्रकरण	पुराने लंबित एवं वर्तमान वर्ष में पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्तमान चलित प्रकरण	पुराने लंबित एवं वर्तमान वर्ष में पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्तमान चलित प्रकरण	पुराने लंबित एवं वर्तमान वर्ष में पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्तमान चलित प्रकरण
1	रायपुर	13	8	5	7	2	5	32	10	22	32	15	17	84	35	49
2	बलौदाबाजार	6	3	3	15	6	9	4	3	1	5	3	2	30	15	15
3	गरियाबंद	14	3	11	10	3	7	2	0	2	13	2	11	39	8	31
4	महासमुंद	26	19	7	36	19	17	45	25	20	17	9	8	124	72	52
5	धमतरी	10	5	5	9	6	3	13	1	12	14	4	10	46	16	30
6	दुर्ग	7	2	5	4	2	2	12	2	10	6	2	4	29	8	21
7	बालोद	9	3	6	6	1	5	3	0	3	1	0	1	19	4	15
8	बेमेतरा	6	3	3	21	6	15	11	4	7	2	0	2	40	13	27
9	राजनांदगांव	12	5	7	15	4	11	11	4	7	30	10	20	68	23	45
10	कबीरधाम	14	3	11	21	2	19	5	2	3	0	0	0	40	7	33
11	बस्तर	8	5	3	6	4	2	7	5	2	15	8	7	36	22	14
12	कोण्डागांव	7	5	2	4	3	1	2	1	1	4	1	3	17	10	7
13	नारायणपुर	2	2	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1	7	4	3
14	कांकेर	22	8	14	15	8	7	29	9	20	10	3	7	76	28	48
15	दंतेवाड़ा	2	2	0	2	1	1	5	4	1	6	5	1	15	12	3
16	सुकमा	4	4	0	1	1	0	5	5	0	5	3	2	15	13	2
17	बीजापुर	5	4	1	1	0	1	4	3	1	4	2	2	14	9	5
18	बिलासपुर	24	9	15	44	4	40	21	6	15	40	10	30	129	29	100
19	मुंगेली	4	3	1	12	6	6	10	6	4	1	0	1	27	15	12
20	जांजगीर–चांपा	22	10	12	34	20	14	41	26	15	8	1	7	105	57	48
21	कोरबा	22	9	13	24	3	21	12	2	10	7	0	7	65	14	51
22	सरगुजा	6	0	6	11	3	8	7	1	6	8	2	6	32	6	26
23	बलरामपुर	4	1	3	16	6	10	2	1	1	7	2	5	29	10	19
24	सूरजपुर	16	5	11	22	6	16	2	2	0	13	8	5	53	21	32
25	कोरिया	2	1	1	16	8	8	5	3	2	3	1	2	26	13	13
26	रायगढ़	13	5	8	30	19	11	9	3	6	13	5	8	65	32	33
27	जशपुर	16	14	2	17	11	6	25	21	4	8	3	5	66	49	17
28	पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही	3	0	3	1	0	1	1	1	0	2	1	1	7	2	5
	योग–	299	141	158	401	154	247	327	151	176	276	101	175	1303	547	756

अध्याय – 12
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में वित्तीय आबंटन एवं व्यय विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	शेष राशि
1.	2021–22	2,16,32,000	1,87,83,878	28,48,122